

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 61/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 19.11.2020

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र . सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै यशो इंडस्ट्रीज़ लिं., 101 & 102, पेनीनसुला हाईटस, सी डी बर्फीवाला मार्ग, जुहू लेन, अंधेरी (वेस्ट), मुंबई-400058.	फ़ा. सं. DRI/KZU/CF/Enq- 130 (Int-09)/2018 दिनांक 13.10.2020.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (न्हवा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (गुप-VII), निर्यात, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2.	मै हिंदुस्तान ऐरोनोटिक्स लिं., अवीओनिकस डिविजन, पीओ-कोरवा, डिस्ट्रिक्ट अमेठी, उत्तर प्रदेश-227412.	फ़ा. सं. DRI/MZU/CI/Int- 77/2018/Korwa दिनांक 03.11.2020	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. आयुक्त सीमा शुल्क (III) (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स,	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

			अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	
3.	श्री अमर थापर, प्रोपराइटर, में पीचस, R-18, भू तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली-110048 और श्री अक्षत असराणी, श्री हरीश चंदर असराणी, निवासी A-37, पहला तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 वाइस प्रेसिडेंट, में पीचस, R-18, भू तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली-110048	डीआरआई फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/ 50D/Enq-18 (Int- 5)/2016 दिनांक 04.11.2016, दिनांक 03.02.2017 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्कबाद, नई दिल्ली के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क. सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, मुँदरा.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.
4.	श्री राजबीर सिंह, प्रोपराइटर, में अभिषेक एक्सिम इंडिया, B-823, भू तल, गेट सं. 4, ग्रीन फ़िल्ड कॉलोनी, फ़रीदाबाद-121003.	डीआरआई फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/ Enq-10 (Int-13)/ 2014-CI/Pt. दिनांक 27.10.2020	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता. सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो, दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज एवं अन्य आईसीडीस, दिल्ली. सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज एवं अन्य आईसीडीस, दिल्ली.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज एवं अन्य आईसीडीस, दिल्ली.

[फ़ा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-43/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक राजस्व आसूचना निदेशालय-कोलकाता और मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (ReliedUponDocuments) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें
4. उप निदेशक (ए सेल और बी सेल), डीआरआई(मुख्यालय), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (ReliedUponDocuments) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें